जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 10.04.2024**

थाना कैराना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का छापेमारी कर किया अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामदः-

आज दिनांक 10.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव-2024 को शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत व अपराध के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अवैध शस्त्र की बरामदगी/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालन की सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुये ग्राम बरनावी के जंगल में अवैध शस्त्र बनाते 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए अवैध शस्त्र फैक्टरी का अनावरण किये जाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मौके से भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.फग्गन पुत्र स्व0 सरजीत निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 04 तमंचे 315 बोर।

2.अवैध 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

3.एक अधबना तमंचा 315 बोर।

4.नाल 11 (09 नाल 315 बोर, 02 नाल 12 बोर)।

5.अधबनी बॉडी लोहा 14।

6.अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण (05 रेती , 01 प्लास, 02 सिंडासी, एक जम्बूड, 01 आरी मय स्टैण्ड, 01 हथौडा, 01 पाइपरिंच, 01 सूम्बा, लकडी के गुटके, 09 ट्रेगर, एक पैकेट बडे स्प्रिंग, 7 बारिक स्प्रिंग, 01 गुंज, 01 वैल्डिंग मशीन, 01 ग्रेण्डर , 13 लोहे की पत्ती , 01 बर्मा, 01 ड्रिल मशीन, 01 लोहे का शिकंजा मय लकडी का तख्ता आदि)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फग्गन उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 128/11 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0स0 370/13 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शराब बरामदः-

आज दिनांक 10.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर को अवैध 20 अद्धे देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.हसरीन पुत्र यासीन निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 20 अद्धे देशी शराब (हरियाणा निर्मित)।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते गौ हत्या के 02 अलग अलग मामलो में 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई सजा एवं 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

1. वर्ष 2004 में अभियुक्त तहसीम पुत्र बशीर निवासी मौहल्ला काजीवाड़ा आजाद चौक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरूद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 364/2004 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में थाना कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 10.04.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट कैराना, शामली द्वारा धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी अवधि व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 1998 में अभियुक्तगण 1.शकील पुत्र निन्ना 2.शमीम उर्फ चीनी पुत्र कय्यूम निवासीगण गढ़ी अब्दुल्ला थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली के विरूद्ध थाना गढ़ीपुख्ता पर मु0अ0सं0 07/1998 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम में थाना गढ़ीपुख्ता पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 10.04.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट कैराना, शामली द्वारा धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम में अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी अवधि व 5,000-5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.तहसीम पुत्र बशीर निवासी मौहल्ला काजीवाड़ा आजाद चौक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.शकील पुत्र निन्ना निवासी गढ़ी अब्दुल्ला थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।
3.शमीम उर्फ चीनी पुत्र कय्यूम निवासी गढ़ी अब्दुल्ला थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते गैंगस्टर के मामले में अभियुक्त को मा0 न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2009 में अभियुक्त सलीम पुत्र अकबर निवासी मौहल्ला रेतीयान ग्राम गंगेरु थाना कांधला जनपद शामली पर गैंगस्टर के मामले मे थाना कांधला पर मु0अ0सं0 696/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 10.04.2024 को माननीय न्यायालय ADJ/FTC कैराना, शामली द्वारा गैंगस्टर के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.सलीम पुत्र अकबर निवासी मौहल्ला रेतीयान ग्राम गंगेरु थाना कांधला जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI